न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 22/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/26

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

1. मुकेश पुत्र श्री अर्जुनरामजी जाट मैसर्सः– बाबा रामदेव जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टैण्ड जौलाना, तह.– अरथुना, बांसवाडा
2. कान्तिलाल पुत्र श्री पन्नालालजी जैन मैसर्सः– कान्तिलाल सोहनलाल एण्ड ब्रदर्स, बोम्बे बिल्डिंग मोहन कालोनी, बांसवाडा
3. Bharat kumar Sukhij (Nominee) Bikaji Food International Ltd. F/196-199, Bichhwal Industrial Area, Bikaner (Raj.) 334006

निर्णय

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

दिनांक 24.05.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 26–04–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 22–10–2021 को 3.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स बाबा रामदेव जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टैण्ड जौलाना** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **मुकेश पुत्र श्री अर्जुनरामजी जाट** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **बीकानेरी** [illegible] **400 ग्राम के 20 पैकेट** आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इ[illegible] विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर नमूना [illegible]री **भुजिया ब्राण्ड बीकाजी के चार पैक पैकेट** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 420 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.05.30 10:58:47 IST
Reason: SelfAttested

की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **बीकानेरी भुजिया ब्राण्ड बीकाजी के चार पैकेट के चार भाग कर चारो भाग** को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु एक भाग अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं एक भाग खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/261–262 दिनांक 29.11.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 238 दिनांक 01.11.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **बीकानेरी भुजिया ब्राण्ड बीकाजी** का नमुना Misbranded Food under section 3(1)(zf)(A)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **बीकानेरी भुजिया ब्राण्ड बीकाजी** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से अभियुक्तगण **1.मुकेश पुत्र श्री अर्जुनरामजी जाट मैसर्सः– बाबा रामदेव जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टैण्ड जौलाना, तह.– अरथुना, बांसवाडा, 2. कान्तिलाल पुत्र श्री पन्नालालजी जैन मैसर्सः– कान्तिलाल सोहनलाल एण्ड ब्रदर्स, बोम्बे बिल्डिंग मोहन कालोनी, बांसवाडा, 3.** Bharat kumar Sukhij (Nominee) Bikaji Food International Ltd. F/196-199, Bichhwal Industrial Area, Bikaner (Raj.) को दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 26–04–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 24.05.2022 को अभियुक्तगणो ने न्यायालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्तगणो को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/261–262 दिनांक 29.11.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 238 दिनांक 01.11.2021 अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.05.30 10:58:47 IST
Reason: SelfAttested

विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **बीकानेरी भुजिया ब्राण्ड बीकाजी** का नमुना Misbranded Food under section 3(1)(zf)(A)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i) के तहत मिसब्राण्डेड **बीकानेरी भुजिया ब्राण्ड बीकाजी** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन किया है आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **मुकेश पुत्र श्री अर्जुनरामजी जाट मैसर्सः– बाबा रामदेव जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टैण्ड जौलाना, तह.– अरथुना, बांसवाडा को रूपये 10,000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र), कान्तिलाल पुत्र श्री पन्नालालजी जैन मैसर्सः– कान्तिलाल सोहनलाल एण्ड ब्रदर्स, बोम्बे बिल्डिंग मोहन कालोनी, बांसवाडा को रूपये 10,000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र),** Bharat kumar Sukhij (Nominee) Bikaji Food International Ltd. F/196-199, Bichhwal Industrial Area, Bikaner (Raj.) **को रूपये 20,000/– (अक्षरे रू बीस हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपीगणो को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.05.30 10:58:47 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलेक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)